न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 35/2019 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. फफी देवी पत्नि बंशीलाल कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा — **प्रार्थीया**

बनाम

1. नाथु आत्मज नन्दा कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. देवा आत्मज लक्ष्मण कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. चुना आत्मज नारू कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. वीरम आत्मज रामा बैरवा निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद – अधिवक्ता प्रार्थीया

निर्णय

दिनांक 13.06.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में मुझ प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1659 रकबा 0.54 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 267 पर स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीया की उक्त आराजियात के चारों और सीमाओ के कोई मुस्तकिल निशानात नहीं होने की वजह से प्रार्थीया को काश्त करने, काश्त लाभ प्रप्त करने घास आदि काटने, मवेशी वगैरा चराने में दरिमियान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा संबधी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थीया को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारौ तरफ के पडौसी होन से उन्हे पक्षकार बनाये गये हैं। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कई बार उक्त आराजी पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहां लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 23.01.2019 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढ़ी कराने से इंकार हो गये जिससे प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 23.01.2019 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 27.02.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 से 4 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में मुझ प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1659 रकबा 0.54 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 267 पर स्थित हैं। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीया सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीया इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/— अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 300/— अक्षरे तीन सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा